

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक - 7/2014/अजमेर

मैसर्स गायत्री मिनरल्स,
किशनगढ़, जिला

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, वृत्त किशनगढ़, अजमेर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल - सदस्य

श्री अमर सिंह - सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 06.03.2014

निर्णय

उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारी द्वारा इस पीठ द्वारा अपील संख्या 909/2010/अजमेर, में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी व्यवहारी ने इस पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2013 को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी कोमाईट सैन्ड, सैल कोटेड तथा क्वार्टज सैन्ड का वि-निर्माण कर, विक्रय करता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 में स्वयं द्वारा वि-निर्मित उपर्युक्त वस्तुओं को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की अनुसूची-4 के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना मानकर, कर वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया है। प्रत्यर्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-किशनगढ़ (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करते समय जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा वि-निर्मित उपर्युक्त वस्तुयें अनुसूची-IV के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य न होकर अनुसूची-V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम कर, एक पक्षीय निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 पारित किया गया। उक्त पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा धारा 38 के तहत उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर प्रदान कर, पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु आदेश दिनांक 28.08.2009 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश की पालना में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, निर्धारण आदेश दिनांक 27.10.2009

लगातार.....2





परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक - 7/2014/अजमेर


पारित कर, अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 58 के तहत बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण शास्ति आरोपित कर, आदेश दिनांक 27.10.2009 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपील आदेश दिनांक 24.05.2010 के अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। उक्त पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2010 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील क्रमांक 909/2010/अजमेर पर दर्ज की गयी एवम् अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा दिनांक 09.10.2013 को केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रस्तुत उक्त अपील को निर्णित कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ.3(ए)0(6)टैक्स/सीसीटी/91 /864 दिनांक 26.10.2009 प्रकाशित दिनांक 29.10.2009 के आलोक में, ग्रहण किये गये क्षेत्राधिकार को विधिसम्मत होना मानकर, अस्वीकार कर, पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2010 की पुष्टि की गयी। अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 09.10.2013 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सेल्स टैक्स पिटीशन क्रमांक 146/2013 प्रस्तुत की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर, यह अवधारित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर, केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निर्णय कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी है । अतः माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कर बोर्ड के पारित निर्णय दिनांक 09.10.2013 के विरुद्ध परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । माननीय न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 के क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसकी सुनवायी कर, निर्णय पारित किया जा रहा है ।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.10.2009 को पारित किया गया वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2009 में पूर्व में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.03.2009 को ही दोहराते हुये बिना संचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किये ही तदनुसार ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत एवम् वि-निर्मित वस्तुओं को अनुसूची-V के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से कर

लगातार.....3

योग्य होना अवधारित कर, मांग राशियां कायम की गयी है जो पूर्णतः अविधिक है । इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वि-निर्मित रेजिन कोटेड पाउडर अधिनियम की अनुसूची-IV (बी) की प्रविष्टि संख्या 197 में अंकित क्वार्टज पाउडर के तहत आता है तथा पाउडर पर कोटिंग रेजिन से की जाती है । कथन किया कि रेजिन अनुसूची-IV (बी) की प्रविष्टि संख्या 133 पर है जिस पर भी राज्य सरकार द्वारा कर दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है । कथन किया कि उक्त समस्त प्रक्रिया में किसी भी नयी वस्तु का वि-निर्माण नहीं होता है बल्कि केवल पाउडर की रेजिन से कोटिंग करने पर उसकी गुणावता में इजाफा किया जाता है जबकि कोटेड पाउडर, पाउडर ही रहता है एवम् उक्त की गयी कोटिंग पुनः उतारने पर (गर्म करने पर) पुनः उसी रूप में वापस आ जाती है । अर्थात् उक्त समस्त प्रक्रिया Vice-Versa है । अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण अधिनियम की अनुसूची IV-B के इन्द्राज संख्या 197 व 133 " से शासित है एवम् अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है । अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के उत्पादों को अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत योग्य होना मानकर, अन्तर कर व ब्याज आरोपित कर मांग राशियां कायम पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है । जहां तक अनुसूचियों के इन्द्राजों में अंकित शब्दावली को लेकर कोई विवाद कर दर के संबंध में हो अथवा यदि कोई मतभिन्नता हो, तो ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि ऐसे इन्द्राजों का निर्वचन करदायी के हित में किया जाना विधिसम्मत है । वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है । इस संबंध में अभिवाक् किया विधायिका द्वारा किये गये इन्द्राज विशिष्ट है । अधिनियम की अनुसूची-V के इन्द्राज क्रम संख्या-1 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि इसमें वस्तुयें, जो किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, उन पर कर की दर 12.5/14 प्रतिशत है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरणों में उपर्युक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, 4 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है । पुनः जोर देकर तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें अनुसूची-IV-B के इन्द्राज क्रम संख्या-197 व 133 से आच्छादित है । अतः उक्त बिक्रीत वस्तुओं के लिये कर दर के विशिष्ट इन्द्राज मौजूद होने के कारण, उक्त वस्तु पर कर की दर 4 प्रतिशत ही है जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है । अतः उक्त तर्कों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।





विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा राजस्थान कराधान अधिकरण के शुभलक्ष्मी एजेन्सीज के निर्णय (2003) 133 एस.टी.सी. 371 को प्रोद्धरित करते हुए कथन किया गया कि कराधान (taxation) के मामलों में common parlance का सिद्धान्त लागू होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पादों को इसमें संव्यवहार करने वालों की प्रचलित वाणिज्यिक सोच, प्रयोजन एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इनके वर्गीकरण एवं कर देयता का विनिश्चयन किया जाना चाहिये।

विशिष्ट रूप से निर्धारण आदेश दिनांक 27.10.2009 व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.10.2009 प्रकाशित दिनांक 29.10.2009 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल एक दिन के समयावधि के अंदर ही नोटिस जारी कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को इस संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु न तो समय दिया गया है एवम् न ही अवसर प्रदान किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 का उल्लंघन है। अतः उक्त आधार पर भी पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.10.2009 विधिशून्य होना प्रकट कर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान् उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को उचित होना प्रकट कर, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विनिर्मित उत्पादों का आलोच्य अवधि के दौरान ऊपर वर्णित उत्पादों को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV से अधिशास्ति होना मानकर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इन पर कर देयता वेट अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार होना मानकर, इस संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज का ओपण किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वि-निर्मित उत्पाद अधिनियम की अनुसूची-IV (B) के मद संख्या 197 व 133 की प्रविष्टि के अन्तर्गत आने से इन पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है अथवा वेट अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत सामान्य दर 12.5 प्रतिशत कर देयता है। इस बिन्दु पर निर्णय हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व अनुसूचियों में वर्णित कर दर के इन्द्राजातों पर विचार करना समीचीन होगा। इस संबंध में कतिपय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का अवलोकन करना न्यायहित में समीचीन होगा, जो अग्रंकित है:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील क्रमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.07.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

“...the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally true that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है:-

On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In Cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's 1921 (1) के.बी 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court:

“.....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is no equity about a tax. There is no presumption as to a tax. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only look fairly at the language used.” (पैरा-20)


परन्तु हस्तगत प्रकरण के संबंध में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2009 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया है कि नहीं ? इस संबंध में यदि पारित निर्धारण आदेश व राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.10.2009 प्रकाशित दिनांक 29.10.2009 का अवलोकन करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2009 को क्षेत्राधिकार संबंधी स्वीकृति आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् नोटिस भी जारी कर, अपीलार्थी व्यवहारी को जारी नोटिस तामिल करवाते हुये, दिनांक 27.10.2009 को निर्धारण आदेश पारित किया गया है जिससे यह कदापि प्रमाणित नहीं होता कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर प्रदान कर, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 का पालन किया गया है। अतः प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, गुणावगुण पर पुनः निर्धारण आदेश


परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक - 7/2014/अजमेर

पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे आलोच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी गुणावगुण पर एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह) 6-3-14
सदस्य


6.3.2014
(मदन लाल)
सदस्य